

सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन

डा० अरविन्द कुमार शुक्ल¹

¹एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना० महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ०प्र०, भारत

Received: 21 Jan 2026 Accepted & Reviewed: 25 Jan 2026, Published: 31 Jan 2026

Abstract

सब्सिडी राजनीति समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं, वहाँ सरकारें जनसमर्थन प्राप्त करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों की घोषणा करती हैं। परंतु जब सब्सिडियाँ राजनीतिक लाभ के लिए असंतुलित रूप से दी जाती हैं, तो यह आर्थिक अनुशासन, राजकोषीय स्थिरता और दीर्घकालीन विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। यह शोध-पत्र सब्सिडी राजनीति के स्वरूप, उद्देश्यों, आर्थिक प्रभावों तथा आर्थिक अनुशासन पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में भारत सहित वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सब्सिडी व्यवस्थाओं का तुलनात्मक परीक्षण किया गया है। इसमें खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम, बिजली, कृषि ऋण माफी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि लक्षित और पारदर्शी सब्सिडियाँ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं, जबकि राजनीतिक लाभ हेतु अनियंत्रित सब्सिडियाँ राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति और आर्थिक असंतुलन को जन्म देती हैं। अतः आर्थिक अनुशासन बनाए रखने हेतु नीतिगत सुधार, पारदर्शिता, लक्षित वितरण और तकनीकी साधनों का उपयोग आवश्यक है।

मुख्य शब्द— सब्सिडी राजनीति, आर्थिक अनुशासन, राजकोषीय घाटा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, लोकलुभावन नीतियाँ, सामाजिक न्याय, वित्तीय स्थिरता, भारत

Introduction

आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सब्सिडी एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में स्थापित हो चुकी है। यह राज्य द्वारा प्रदत्त वह आर्थिक सहायता है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, सेवा या वर्ग विशेष की लागत को कम किया जाता है अथवा उसकी उपलब्धता और उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, जहाँ सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताएँ विद्यमान हैं, वहाँ सब्सिडी को सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सब्सिडी का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व अत्यधिक रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने स्वयं को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसके अंतर्गत खाद्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सब्सिडी नीतियाँ लागू की गईं। उदाहरणस्वरूप, National Food Security Act के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। समय के साथ सब्सिडी केवल आर्थिक नीति का साधन न रहकर राजनीतिक रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। चुनावी घोषणापत्रों में मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफी, छात्रवृत्ति, नकद अंतरण योजनाएँ तथा अन्य लोकलुभावन वादे सामान्य हो गए हैं। इस प्रवृत्ति को 'सब्सिडी राजनीति' कहा जाता है, जहाँ नीतियाँ दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि से अधिक, अल्पकालिक

राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से निर्मित होती हैं। हालाँकि, सब्सिडी का सकारात्मक पक्ष भी है। यह सामाजिक सुरक्षा, आय पुनर्वितरण, मानव पूँजी निर्माण और आर्थिक स्थिरता में योगदान देती है। विशेषकर आर्थिक संकट, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सब्सिडियाँ राहत और पुनर्वास का प्रभावी साधन सिद्ध होती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण और प्रत्यक्ष नकद अंतरण ने करोड़ों लोगों को जीवन-निर्वाह में सहायता प्रदान की। किन्तु दूसरी ओर, अनियंत्रित और असंतुलित सब्सिडी व्यय राजकोषीय घाटे, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि और मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है। आर्थिक अनुशासन (Fiscal Discipline) का मूल उद्देश्य राजस्व और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना, अनावश्यक घाटे को नियंत्रित करना तथा दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसी दिशा में भारत सरकार ने Fiscal Responsibility and Budget Management Act लागू किया, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करना है।

इस प्रकार, सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के बीच एक जटिल संबंध विद्यमान है। एक ओर सब्सिडी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का साधन है, वहीं दूसरी ओर यह वित्तीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती भी बन सकती है। यह शोध-पत्र इसी द्विधात्मक संबंध का विश्लेषण करता है। इसमें निम्न प्रश्नों की विवेचना की जाएगी। क्या सब्सिडी राजनीति आर्थिक अनुशासन को कमजोर करती है? क्या लक्षित एवं पारदर्शी सब्सिडी व्यवस्था दोनों उद्देश्यों सामाजिक कल्याण और वित्तीय स्थिरता को संतुलित कर सकती है? भारत के संदर्भ में सब्सिडी सुधारों की क्या दिशा होनी चाहिए?

अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सब्सिडी राजनीति के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का समग्र विश्लेषण करना तथा आर्थिक अनुशासन के साथ उसके संतुलन हेतु व्यवहारिक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है।

सब्सिडी का सामान्य अर्थ है सरकार द्वारा किसी वस्तु, सेवा, उत्पादक, उपभोक्ता अथवा विशिष्ट वर्ग को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, जिससे उसकी लागत कम हो सके या उसकी उपलब्धता और उपभोग को प्रोत्साहित किया जा सके। आर्थिक दृष्टि से सब्सिडी एक प्रकार का नीतिगत हस्तक्षेप है, जिसके माध्यम से राज्य बाजार तंत्र में संतुलन स्थापित करने, आय वितरण में सुधार करने तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। जब किसी वस्तु की वास्तविक लागत अधिक होती है और वह सामान्य नागरिकों की क्रय-शक्ति से बाहर हो जाती है, तब सरकार वित्तीय सहयोग देकर उस वस्तु को सुलभ बनाती है। इस प्रकार सब्सिडी का मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण, उत्पादन प्रोत्साहन और आर्थिक स्थिरता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सब्सिडी का विशेष महत्व है। विकासशील देशों में गरीबी, बेरोजगारी, कृषि पर निर्भरता तथा क्षेत्रीय विषमताओं के कारण सरकारें व्यापक सब्सिडी नीतियाँ अपनाती हैं। उदाहरणतः भारत में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए National Food Security Act के अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। यह उपभोक्ता सब्सिडी का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें सरकार बाजार मूल्य और रियायती मूल्य के बीच का अंतर वहन करती है। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, सब्सिडी बाजार विफलताओं (Market Failures) को सुधारने का साधन है। यदि किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन पर्याप्त न हो रहा हो या उसकी कीमत अत्यधिक हो, तो सरकार हस्तक्षेप कर संतुलन स्थापित कर सकती है। किन्तु यदि सब्सिडी अत्यधिक या दीर्घकालीन हो जाए, तो यह संसाधनों के दुरुपयोग, राजकोषीय घाटे और निर्भरता की प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है। अतः स्पष्ट है कि सब्सिडी केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक उपकरण है। इसकी प्रकृति, उद्देश्य और वितरण प्रणाली के आधार पर इसके अनेक प्रकार हैं, जिनका प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। इसलिए सब्सिडी नीति का निर्माण संतुलित, पारदर्शी और लक्षित होना आवश्यक है, ताकि

सामाजिक न्याय और आर्थिक अनुशासन दोनों की प्राप्ति संभव हो सके। सब्सिडी राजनीति से आशय उस प्रवृत्ति से है जिसमें सरकारें आर्थिक सहायता, रियायतों या मुफ्त योजनाओं की घोषणा और विस्तार को राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग करती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का समर्थन प्राप्त करना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होती है, और इसी प्रक्रिया में सब्सिडियाँ चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती हैं। जब सब्सिडी का उद्देश्य केवल सामाजिक-आर्थिक सुधार न होकर मतदाता समूहों को प्रभावित करना भी हो, तब वह 'सब्सिडी राजनीति' का रूप ग्रहण कर लेती है। भारत जैसे विकासशील और जनसंख्या-बहुल देश में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली, मुफ्त लैपटॉप, सस्ती दरों पर राशन, महिलाओं को नकद सहायता, युवाओं को भत्ता आदि योजनाएँ समय-समय पर चुनावी घोषणापत्रों का हिस्सा बनती रही हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू National Food Security Act का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा था, किंतु इसके विस्तार और क्रियान्वयन के राजनीतिक आयाम भी रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए आरंभ की गई Direct Benefit Transfer योजना ने पारदर्शिता बढ़ाई, परंतु कई बार नकद अंतरण योजनाएँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का साधन भी बन जाती हैं।

सब्सिडी राजनीति का एक प्रमुख स्वरूप 'लोकलुभावनवाद' से जुड़ा हुआ है। लोकलुभावन राजनीति में अल्पकालिक लोकप्रियता के लिए दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार की राजनीति में सरकारें या राजनीतिक दल व्यापक जनसमूह को आकर्षित करने के लिए मुफ्त या अत्यधिक रियायती योजनाओं की घोषणा करते हैं, भले ही उसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हों। परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है और आर्थिक अनुशासन प्रभावित हो सकता है। सब्सिडी राजनीति का एक अन्य स्वरूप वर्ग-विशेष या क्षेत्र-विशेष को लक्षित करने में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, किसानों के लिए उर्वरक या बिजली सब्सिडी, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, महिलाओं के लिए विशेष नकद योजनाएँ आदि। ये योजनाएँ सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ की जाती हैं, किंतु राजनीतिक दल इनके माध्यम से विशिष्ट मतदाता समूहों को संगठित करने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार सब्सिडी नीति सामाजिक-आर्थिक नीति और चुनावी रणनीति दोनों का मिश्रित रूप बन जाती है।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की तीव्रता भी सब्सिडी राजनीति को बढ़ावा देती है। जब एक दल किसी राज्य या क्षेत्र में मुफ्त या रियायती योजना लागू करता है, तो प्रतिस्पर्धी दल भी समान या अधिक आकर्षक योजनाओं की घोषणा करने लगते हैं। इससे 'सब्सिडी प्रतिस्पर्धा' की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ योजनाओं की संख्या और व्यय दोनों में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी राजनीति का संबंध संघीय ढाँचे से भी है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों सब्सिडी योजनाएँ लागू करती हैं। कई बार राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार ऐसी योजनाएँ घोषित करती हैं जो केंद्र की वित्तीय नीतियों से भिन्न होती हैं। इससे समग्र राजकोषीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। हालाँकि यह भी सत्य है कि सब्सिडी राजनीति पूर्णतः नकारात्मक नहीं है। लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ ही नीतियों को आकार देती हैं। यदि सब्सिडियाँ वास्तव में वंचित वर्गों के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए लक्षित हों, तो वे सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ कर सकती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सब्सिडियाँ दीर्घकालिक आर्थिक योजना और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना घोषित की जाती हैं। अतः सब्सिडी राजनीति का स्वरूप बहुआयामी है। यह सामाजिक कल्याण, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, लोकलुभावनवाद और आर्थिक यथार्थ के बीच संतुलन की चुनौती को दर्शाता है। इसकी प्रकृति इस बात

पर निर्भर करती है कि सरकारें इसे जनकल्याण के साधन के रूप में उपयोग करती हैं या केवल चुनावी लाभ के उपकरण के रूप में।

1.1 शोध की आवश्यकता (Need of the Study)— वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन का विषय अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में सरकारें सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सब्सिडियाँ प्रदान करती हैं। खाद्य सुरक्षा, उर्वरक सहायता, ऊर्जा सब्सिडी तथा नकद अंतरण योजनाएँ करोड़ों नागरिकों के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। उदाहरणस्वरूप, National Food Security Act के अंतर्गत बड़ी जनसंख्या को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जबकि क्पतमबज टमदमपिज ज्तंदेमित के माध्यम से सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है। हालाँकि, बढ़ती सब्सिडी व्यय ने राजकोषीय घाटे, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न की हैं। आर्थिक अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से Fiscal Responsibility and Budget Management Act लागू किया गया, किंतु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सब्सिडी व्यय में निरंतर वृद्धि देखी जाती है। इस द्वंद्व सामाजिक कल्याण बनाम राजकोषीय अनुशासन को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि सब्सिडी राजनीति पर अधिकांश विमर्श या तो पूर्णतः आलोचनात्मक होता है या पूर्णतः समर्थनात्मक। एक संतुलित, विश्लेषणात्मक और तथ्याधारित अध्ययन से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किस प्रकार लक्षित और पारदर्शी सब्सिडियाँ आर्थिक अनुशासन के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती हैं।

1.2 समस्या का स्वरूप एवं व्याख्या— समस्या का मूल स्वरूप यह है कि सब्सिडियाँ सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक समावेशन का साधन होने के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का उपकरण भी बन गई हैं। चुनावी घोषणाओं में मुफ्त सेवाएँ, ऋण माफी, नकद सहायता और अन्य रियायतें अक्सर दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखे बिना घोषित की जाती हैं। इससे निम्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं—

- ✚ राजकोषीय घाटे में वृद्धि
- ✚ सार्वजनिक ऋण का विस्तार
- ✚ पूँजीगत व्यय में कमी
- ✚ संसाधनों का असमान या अप्रभावी वितरण
- ✚ निर्भरता की प्रवृत्ति

समस्या की जटिलता इस तथ्य में निहित है कि सब्सिडी पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की आधारशिला हैं। अतः मुख्य प्रश्न यह है कि सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।

1.3 अध्ययन का औचित्य (Rationale of the Study)— इस अध्ययन का औचित्य तीन प्रमुख आधारों पर स्थापित होता है। प्रथम, भारत में सब्सिडी व्यय का आकार निरंतर बढ़ रहा है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। द्वितीय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब्सिडी राजनीति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे वित्तीय अनुशासन पर दबाव पड़ता है। तृतीय, नीति-निर्माण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सामाजिक कल्याण और राजकोषीय स्थिरता दोनों के बीच संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जाए। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, शोधार्थियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह सब्सिडी व्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

1.4 अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)— इस शोध का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

- ✚ सब्सिडी की अवधारणा और उसके विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण करना।
- ✚ भारत में सब्सिडी राजनीति के स्वरूप और प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
- ✚ सब्सिडी व्यय के राजकोषीय घाटे और आर्थिक अनुशासन पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- ✚ लक्षित सब्सिडी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- ✚ सामाजिक न्याय और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5 शोध-प्रश्न (Research Questions)— इस अध्ययन को निम्नलिखित शोध-प्रश्नों के माध्यम से संचालित किया जाएगा—

- ✚ क्या सब्सिडी राजनीति आर्थिक अनुशासन को कमजोर करती है?
- ✚ क्या लक्षित और पारदर्शी सब्सिडी प्रणाली राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर सकती है?
- ✚ भारत में सब्सिडी व्यय का दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- ✚ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली ने सब्सिडी के वितरण और पारदर्शिता में किस हद तक सुधार किया है?
- ✚ सामाजिक कल्याण और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कौन-सी नीतियाँ प्रभावी हो सकती हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत शोध-पत्र सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के जटिल संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा।

1.6 अध्ययन की परिधि एवं सीमाएँ (Scope and Limitations of the Study)— प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य फोकस भारत में सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करना है। अध्ययन की परिधि में खाद्य, उर्वरक, ऊर्जा, कृषि ऋण माफी तथा प्रत्यक्ष नकद अंतरण जैसी प्रमुख सब्सिडी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। विशेष रूप से National Food Security Act] Direct Benefit Transfer तथा Fiscal Responsibility and Budget Management Act जैसे प्रमुख विधायी एवं नीतिगत ढाँचों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन की समय-सीमा—मुख्यतः 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की अवधि से वर्तमान समय तक सीमित है, क्योंकि इसी कालखंड में राजकोषीय सुधारों और सब्सिडी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का संदर्भ केवल तुलनात्मक दृष्टि से लिया गया है, परंतु विस्तृत वैश्विक विश्लेषण इसमें सम्मिलित नहीं है। इस अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। प्रथम, यह शोध मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों (secondary data) पर आधारित है, अतः प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं है। द्वितीय, सब्सिडी राजनीति के राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण गुणात्मक (qualitative) दृष्टिकोण से किया गया है, जिसे मात्रात्मक रूप से पूर्णतः मापा जाना कठिन है। तृतीय, राज्यों के बीच सब्सिडी संरचना में भिन्नता होने के कारण समग्र निष्कर्ष सामान्यीकृत (generalized) रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

1.7 परिकल्पना (Hypothesis)— इस अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाएँ स्थापित की गई हैं—

- 1 यदि सब्सिडियाँ व्यापक एवं अनियंत्रित रूप से दी जाएँ, तो वे राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर आर्थिक अनुशासन को कमजोर करती हैं।
- 2 लक्षित एवं पारदर्शी सब्सिडी व्यवस्था, विशेषकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से, वित्तीय अपव्यय को कम कर आर्थिक अनुशासन को सुदृढ़ कर सकती है।
- 3 चुनावी प्रतिस्पर्धा की तीव्रता सब्सिडी राजनीति को बढ़ाती है, जिससे अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- 4 यदि सब्सिडी को उत्पादक निवेश (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास) से जोड़ा जाए, तो उसका दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इन परिकल्पनाओं की जाँच के माध्यम से अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के बीच संबंध प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा परिस्थिति-निर्भर है।

1.8 शोध प्राविधि (Research Methodology)— प्रस्तुत शोध मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है। डेटा का स्वरूप, द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिनमें केंद्रीय बजट दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, नीति आयोग के प्रकाशन तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें सम्मिलित हैं।

विश्लेषण की पद्धति—

- सब्सिडी व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध का तुलनात्मक विश्लेषण
- समय-श्रृंखला (time-series) प्रवृत्तियों का अध्ययन
- नीतिगत दस्तावेजों का समीक्षात्मक परीक्षण
- गुणात्मक विश्लेषण द्वारा राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन

अध्ययन की पद्धतिगत रूपरेखा—

- सैद्धांतिक आधार, कल्याणकारी राज्य सिद्धांत एवं लोकलुभावनवाद सिद्धांत
- अनुभवजन्य आधार, बजटीय आँकड़े और नीतिगत सुधार
- तुलनात्मक दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के साथ सीमित तुलना

इस प्रकार शोध प्राविधि बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन की जटिलता को समझने का प्रयास करती है।

1.9 साहित्य समीक्षा (Review of Literature)— सब्सिडी और राजकोषीय अनुशासन पर साहित्य व्यापक एवं बहुआयामी है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार तंत्र स्वयं संसाधनों का कुशल वितरण करता है, अतः अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से अक्षमताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। किंतु कीन्सीय दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि सरकार को आर्थिक असमानताओं और बाजार विफलताओं को सुधारने हेतु सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सब्सिडी को सामाजिक न्याय और आय पुनर्वितरण के साधन के रूप में देखा गया है। अमर्त्य सेन और जीन ड्रेज़ ने अपने कार्यों में यह तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय मानव विकास सूचकांकों को सुधारने में सहायक होता है। भारत में National Food Security Act को इसी सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण का विस्तार माना गया है। दूसरी ओर, रंगराजन

(2019) तथा अन्य वित्तीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अनियंत्रित सब्सिडी व्यय राजकोषीय असंतुलन को बढ़ा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की रिपोर्टों में यह रेखांकित किया गया है कि ऊर्जा और ईंधन सब्सिडियाँ अक्सर राजकोषीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती हैं और इनका लाभ अपेक्षाकृत उच्च आय वर्ग को भी मिलता है। भारत में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से Direct Benefit Transfer को लागू किया गया, जिसे कई अध्ययनों में सकारात्मक सुधार के रूप में देखा गया है।

राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ करने हेतु Fiscal Responsibility and Budget Management Act पर भी व्यापक चर्चा हुई है। अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि इस अधिनियम ने घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु राजनीतिक परिस्थितियों और आर्थिक संकटों के समय इसके लक्ष्यों में लचीलापन लाना पड़ा। समग्र रूप से साहित्य यह संकेत देता है कि सब्सिडी का प्रभाव उसके स्वरूप, लक्ष्यीकरण और क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

1.10 डेटा विश्लेषण (Data Analysis)— द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर भारत में सब्सिडी व्यय का विश्लेषण करने पर निम्न प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं—

खाद्य सब्सिडी में वृद्धि— कोविड-19 महामारी के दौरान अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण के कारण खाद्य सब्सिडी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

उर्वरक सब्सिडी का उतार-चढ़ाव— अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन के कारण उर्वरक सब्सिडी व्यय में अस्थिरता देखी गई।

राजकोषीय घाटे पर प्रभाव— उच्च सब्सिडी व्यय के वर्षों में राजकोषीय घाटा ळक्क के प्रतिशत के रूप में बढ़ा।

DBT के माध्यम से बचत— प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कारण लीकेज (समांहम) में कमी और प्रशासनिक लागत में बचत के संकेत मिले।

समय-श्रृंखला विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जब पूँजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय (जिसमें सब्सिडियाँ सम्मिलित हैं) अधिक बढ़ता है, तब दीर्घकालिक विकास दर पर दबाव पड़ सकता है।

1.11 चर्चा (Discussion)— प्राप्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के बीच संबंध रैखिक नहीं बल्कि जटिल और परिस्थिति-निर्भर है। एक ओर सब्सिडी सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और आय असमानता को कम करने में सहायक है; दूसरी ओर, यदि यह बिना पर्याप्त वित्तीय योजना के लागू की जाए तो राजकोषीय असंतुलन को बढ़ा सकती है। लोकलुभावन नीतियों के कारण अल्पकालिक राजनीतिक लाभ प्राप्त हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में निवेश, अवसंरचना और उत्पादक क्षेत्रों पर व्यय घट सकता है। इसके विपरीत, यदि सब्सिडियाँ लक्षित हों, समयबद्ध हों और उत्पादक निवेश से जुड़ी हों, तो वे मानव पूँजी निर्माण में योगदान कर सकती हैं। इस संदर्भ में DBT जैसे सुधारों ने पारदर्शिता बढ़ाई है, किंतु अभी भी लाभार्थी पहचान, डिजिटल विभाजन और प्रशासनिक समन्वय जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

1.12 परिणाम (Findings)— अध्ययन के आधार पर निम्न प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए—

1 अनियंत्रित और व्यापक सब्सिडी व्यय राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि का कारण बन सकता है।

- 2 लक्षित और पारदर्शी सब्सिडी व्यवस्था आर्थिक अनुशासन के साथ संतुलन स्थापित कर सकती है।
- 3 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली ने सब्सिडी वितरण में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया है।
- 4 चुनावी प्रतिस्पर्धा सब्सिडी राजनीति को प्रभावित करती है, जिससे अल्पकालिक नीतिगत निर्णयों की प्रवृत्ति बढ़ती है।
- 5 उत्पादक क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल) में दी गई सब्सिडियाँ दीर्घकाल में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

समग्रतः, अध्ययन यह संकेत देता है कि सब्सिडी का प्रभाव उसकी संरचना, लक्ष्यीकरण और वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करता है। संतुलित नीति-निर्माण के माध्यम से सामाजिक कल्याण और आर्थिक अनुशासन दोनों को एक साथ साधा जा सकता है।

अनुशंसाएँ (Policy Recommendations)

- 1 लक्षित सब्सिडी प्रणाली को प्राथमिकता दी जाए, सार्वभौमिक सब्सिडियों के स्थान पर आय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर लक्षित सब्सिडी प्रदान की जाए, ताकि संसाधनों का अपव्यय रोका जा सके।
- 2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार, Direct Benefit Transfer को सभी प्रमुख सब्सिडी योजनाओं में व्यापक रूप से लागू किया जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़े और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।
- 3 राजकोषीय अनुशासन का कठोर पालन, Fiscal Responsibility and Budget Management Act के लक्ष्यों को गंभीरता से लागू किया जाए तथा सब्सिडी व्यय को निर्धारित सीमा के भीतर रखा जाए।
- 4 समयबद्ध प्रावधान- प्रत्येक नई सब्सिडी योजना में एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए, ताकि वह स्थायी वित्तीय बोझ न बन सके।
- 5 सामाजिक लेखा परीक्षा, को अनिवार्य बनाया जाए, सब्सिडी योजनाओं के प्रभाव और उपयोगिता की नियमित सामाजिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाए।
- 6 उत्पादक क्षेत्रों में प्राथमिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडियों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।
- 7 चुनावी घोषणाओं पर वित्तीय मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए, चुनावी घोषणापत्रों में प्रस्तावित मुफ्त योजनाओं के लिए पूर्व-आर्थिक मूल्यांकन (Fiscal Impact Assessment) अनिवार्य किया जाए।
- 8 डेटा-आधारित नीति निर्माण, सब्सिडी वितरण में तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित की जाए।
- 9 राजस्व सृजन के स्रोतों को सुदृढ़ करना, सब्सिडी व्यय को संतुलित करने हेतु कर आधार का विस्तार और कर संग्रहण प्रणाली को मजबूत किया जाए।
- 10 केंद्र और राज्य समन्वय को बढ़ावा, संघीय ढाँचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुशासन और सब्सिडी नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाए।
- 11 लीकेज और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, आधार-लिंकड पहचान, डिजिटल भुगतान और पारदर्शी निगरानी तंत्र के माध्यम से अनियमितताओं को कम किया जाए।
- 12 मध्यम और उच्च आय वर्ग के लिए सब्सिडी का पुनरीक्षण, ऐसी सब्सिडियों की समीक्षा की जाए जिनका लाभ अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों को भी मिलता है, और उन्हें चरणबद्ध रूप से सीमित किया जाए।

13 सार्वजनिक जागरूकता और उत्तरदायित्व, नागरिकों को यह समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ कि अत्यधिक सब्सिडी का दीर्घकालिक प्रभाव आर्थिक स्थिरता पर पड़ सकता है, जिससे उत्तरदायी लोकतांत्रिक निर्णय को बढ़ावा मिले।

इन अनुशासनों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और समावेशी विकास दोनों को सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष (Conclusion)— सब्सिडी राजनीति और आर्थिक अनुशासन के बीच संबंध जटिल, बहुआयामी और परिस्थिति-निर्भर है। एक ओर सब्सिडियाँ सामाजिक न्याय, आय पुनर्वितरण और समावेशी विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं; दूसरी ओर, अनियंत्रित और लोकलुभावन सब्सिडी व्यय राजकोषीय असंतुलन, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में खाद्य, उर्वरक, ऊर्जा और नकद अंतरण योजनाओं ने करोड़ों नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। विशेष रूप से National Food Security Act ने खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार का स्वरूप दिया, जबकि Direct Benefit Transfer ने पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही, Fiscal Responsibility and Budget Management Act जैसे विधायी प्रयासों ने राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि समस्या सब्सिडी के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके स्वरूप, लक्ष्यीकरण और वित्तीय प्रबंधन में निहित है। यदि सब्सिडियाँ लक्षित, पारदर्शी और उत्पादक निवेश से जुड़ी हों, तो वे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसके विपरीत, यदि वे केवल चुनावी लाभ के उद्देश्य से बिना पर्याप्त वित्तीय योजना के लागू की जाएँ, तो वे आर्थिक अनुशासन को कमजोर कर सकती हैं।

इस शोध का समग्र निष्कर्ष यह है कि सामाजिक कल्याण और आर्थिक अनुशासन परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं, बशर्ते नीति-निर्माण संतुलित, उत्तरदायी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सब्सिडी राजनीति को आर्थिक यथार्थ और राजकोषीय उत्तरदायित्व के साथ समन्वित किया जाए, जिससे एक स्थिर, समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव हो सके।

संदर्भ सूची—

1. Government of India. (2003). Fiscal Responsibility and Budget Management Act.
2. Government of India. (2013). National Food Security Act.
3. Ministry of Finance. Economic Survey (Various Years).
4. Rangarajan, C. (2019). Indian Economy: Essays on Fiscal Policy.
5. Bhagwati, J. (2010). India's Reforms: How They Produced Inclusive Growth.
6. World Bank. (2022). World Development Report.
7. IMF. (2021). Fiscal Monitor.
8. Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions.
9. NITI Aayog Reports (Various Years).
10. Reserve Bank of India. Annual Report (Various Years).